क्रमांक 4112275 / 03 / छ.ग. / 2018 / 2045

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 18 / 02 / 2019

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
MIS Cell,
स्टेट डाटा सेन्टर,
सिहावा भवन,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण आदेश की प्रति को वेब साईट (Web Site) में अपलोड किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– अधीक्षण अभियंता (बोधी) के पत्र क्र. 581 / बो.प्र. / नि.स. / 2013 / 1920 दिनांक 15.02.2019

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। कृपया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर इस प्रकोष्ठ को अवगत करावें।

18.2.19

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।
(24 पृष्ठ)

(सजल कुमार विश्वकर्मा)
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 4112275 / 03 / छ.ग. / 2018 /

रायपुर, दिनांक 18/2/19 / 02 / 2019

प्रतिलिपि :–

अधीक्षण अभियंता (बोधी) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, डाटा सेंटर, सिहावा भवन परिसर, रायपुर को संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ।

सहपत्र :– शून्य।

(सजल कुमार विश्वकर्मा)
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 581 / बो.प्र. / नि.स. / 2013 / 1920
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 15 / 02 / 2019

प्रति,

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण आदेश की प्रति को वेब साइट (Web site) में अपलोड किये जाने बाबत्।

––00––

विषयांतर्गत लेख है कि प्रथम अपील प्रकरणों वर्षान्त 2018 (छायाप्रति संलग्न) के निराकरण आदेश की प्रति को सूचना के अधिकार "वेब साइट" में अपलोड किये जाने की कार्यवाही कराते हुए इस प्रकोष्ठ को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार
(23 पृष्ठ)

अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

14/2

पृ. क्र. 581 / बो.प्र. / नि.स. / 2013 /
रायपुर, दिनांक / 02 / 2019

प्रतिलिपि :–

कार्यपालन अभियंता (MIS Cell) स्टेट डाटा सेन्टर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हस्ता/-
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

सम्बन्धित नस्ती (वार्षिक प्रति० 2018) के साथ प्रस्तुत करें।
15/2/19

D:\Suchna ka Adhikar 2005.docx

(17)

क्रमांक 137 / बो.प्र. / नि.स. / 2018 / 9511

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 31 / 05 / 2018

अपीलार्थी श्री दयानंद शर्मा पताः– 7 / 662, शिवानंदनगर सेक्टर–1, खमतराई, पो. डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)	— विरुद्ध —	**प्रतिअपीलार्थी** श्री एस.के. विश्वकर्मा जन सूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर

1. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 07.04.2018 को मांगी गई जानकारी जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर द्वारा समय–सीमा में नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के अवलोकन एवं अध्ययन पश्चात् उभय पक्षों को सुनवाई हेतु दिनांक 30.05. 2018 को को उपस्थित होने हेतु आदेश क्र. 8839, रायपुर दिनांक 22.05.18 द्वारा आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश के पालन में जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए।

3. जनसूचना अधिकारी श्री एस.के. विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी संबंधित सेक्शन से विलम्ब से प्राप्त हुई है। नियमानुसार प्रकरण की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो पांच दिवस में अन्य प्राधिकारी को हस्तांतरित किया जाना चाहिए था किन्तु विलम्ब के कारण प्रकरण हस्तांतरित नहीं किया गया है। अपीलार्थी श्री दयानंद शर्मा, सुनवाई हेतु अनुपस्थित रहे। उन्हें फोन से संम्पर्क करने पर उनके द्वारा सुनवाई में आने में असमर्थता व्यक्त कर सुनवाई तिथि आगे बढ़ाने की अनुरोध किया।

4. प्रकरण के अवलोकन एवं अध्ययन पश्ताच् यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। प्रकरण कार्यपालन अभियंता जल संसाधन क्र. 2, बलौदाबाजार से संबंधित है। प्रकरण समय–सीमा में संबंधित को हस्तांतरित किया जाना चाहिए था किन्तु सेक्शन से जानकारी विलम्ब से दिये जाने से पृथक आवेदन देकर प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। जो उचित नहीं है।

अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि प्रकरण मूलतः कार्यपालन अभियंता जल संसाधन क्र. 2, बलौदाबाजार को हस्तांतरित किया जावें। कार्यपालन अभियंता, बलौदाबाजार नियमानुसार अपीलार्थी को जानकारी तत्काल प्रदाय करें।

सहपत्र :– शून्य

(बी.आर. लाड़िया)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

—2—

D:\Suchna ka Adhikar.doc

पृ.क्र. 137 / बो.प्र. / नि.स. / 2018/9512 रायपुर, दिनांक 31 / 05 / 2018

प्रतिलिपि :—

1. श्री एस.के. विश्वकर्मा, जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। भविष्य में प्रकरणों में इस तरह विलम्ब न हो इस हेतु सतर्कता बरतें तथा इसकी पुनरावृत्ति न हो, ध्यान रखा जावे।
2. श्री दयानंद शर्मा पताः— 7 / 662, शिवानंदनगर सेक्टर—1, खमतराई, पो. डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं कार्यपालन अभियंता जल संसाधन क्र. 2, बलौदाबाजार सम्पर्क कर मांगी गई जानकारी प्राप्त करने हेतु अग्रेषित।

(बी.आर. लाड़िया)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

सहपत्र :— शून्य